न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2017

परमजीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जी. बडी ढाणी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. वीरसिंह
2. धर्मवीरसिंह
3. कर्मजीतसिंह

पिसरान बूटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जी. बडी ढाणी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. जरनैलसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जटसिख निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदेवसिंह निवासी चक 2 जी. बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 29.12.2016

उपस्थित–

श्री बलराम स्वामी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक रेस्पो. सं. 5

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 53 का पेश कर चक 2 जी बडी के खाता सं. 110/87 मु.नं. 42 की 6.201है0, खाता सं. 83/79 मु.नं. 43 की 3.100है0 का विभाजन वादी व प्रतिवादी

19/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के बीच करने एवं वादी के कब्जा काश्त की भूमि का अलग खाता कायम करने के अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 6 की ओर से जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि दावा मृतक के विरूद्ध पेश होने के कारण निरस्त किया जावे। विकल्प में घरू बंटवारा के अनुसार मौका एवं कब्जा के अनुसार लगान निर्धारण करने एवं पृथक जमाबन्दी तैयार करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 29.12.2016 को वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने पारिवारिक समझौता दिनांक 16.06.2015 पेश किया था जिसे साक्ष्य से साबित करवाया था। अधी. न्यायालय द्वारा राजीनामा को मान्यता देना आवश्यक था एवं उसके आधार पर ही दावे का निर्णय न कर अधी. न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में रेस्पों. सं. 5 द्वारा जबाब दावा पेश कर जो अनुतोष रेस्पों. सं. 5 द्वारा मांगा गया था वह अधी. न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। उक्त अनुतोष के साथ अपील का निर्णय किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा राजीनामे को विधिक महत्व न देकर राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 53, 88 का दावा खारिज किया है जबकि साक्ष्य वादी के अनुसार दावा डिक्री योग्य नहीं था जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं करने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय में दावा पेश होने के पश्चात प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रारम्भिक कानूनी आपत्ति के साथ दावे के प्रत्येक चरण का जबाब दावा पेश हुआ है। विधि अनुसार दावे एवं जबाब दावे के

19/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी जो न करके कानूनी भूल की है। एकतरफ राजीनामे को विधिक महत्व नहीं दिया गया जिसका विकल्प सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 14 नियम 1 के प्रावधानुसार तनकीयात कायम की जाकर इसी आदेश के नियम 2 के प्रावधान अनुसार तनकीवार निर्णय किया जाना आज्ञापक था जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया जो बडी विधिक भूल है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2016 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दावे एवं जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर, उनपर साक्ष्य संग्रहित कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/18

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर